HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 708/2023

Taruna W/o Mahendra Kumar Mundra, Aged About 35 Years, B/c Mundra, R/o H.no. 50, Mahaveer Nagar, P.s. Mahamandir, Jodhpur.

----Petitioner

Versus

Gopal Singh S/o Mahendra Singh, B/c Mali, R/o Sankhlo Ki Gali, Magra Punjla, Jodhpur.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 707/2023

Taruna W/o Mahendra Kumar Mundra, Aged About 35 Years, B/c Mundra, R/o House No. 50, Mahaveer Nagar, P.s. Mahamandir, Jodhpur.

----Petitioner

Versus

Gopal Singh S/o Mahendra Singh, B/c Mali, R/o Sankhlo Ki Gali, Magra Punjla, Jodhpur.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ravindra Kumar Acharya
For Respondent(s)	:	Mr. AR Choudhary, PP With Mr. Avinash Godara Mr. Naresh Vishnoi, Mr. Ravindra Singh

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Judgment

Reserved on 24/04/2024
Pronounced on 01/05/2024

Reportable

01. योग्य अधिवक्ता याची ने ये याचिकाएं अन्तर्गत धारा 482 सीआर.पी.सी. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 10, जोधपुर महानगर के फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या 295/15 व 296/15 में दिनांक 03.11.2015 को दो

(Downloaded on 19/12/2024 at 12:23:51 PM)

अलग–अलग चैक के संबंध में धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत प्रसंज्ञान लिया गया और याची श्रीमती तरूणा के विरूद्ध भी प्रसंज्ञान लिया गया और उक्त प्रकरण लंबित है। जिससे व्यथित होकर ये दोनों याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं।

02. संक्षेप में इन मामलों के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रत्यर्थी द्वारा दो अलग–अलग परिवाद याची व उसके पति महेन्द्र कुमार के विरूद्ध धारा 138 एन. आई. एक्ट के पेश कर यह निवेदन किया कि अभियुक्तगण ने अपनी निजी आवश्यकता बताकर उधार रूपयों की मांग की, इस पर विश्वास करते हुए प्रत्यर्थी–परिवादी द्वारा अभियुक्तगण को 2–2 लाख रूपये उधार दिए और उस उधार पेटे रूपयों के भुगतान हेतु एक चैक संख्या 965754, दिनांकित 28.05.2015 राशि 2,00,000/– रूपये का व दूसरा चैक संख्या 965755, दिनांकित 30.05.2015, राशि 2,00,000/– रूपये का एस.बी. बी.जे. शाखा जोधपुर का दिया, जो चैक अनादरित हो जाने से 2 अलग–अलग परिवाद धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रस्तुत किए गए।

03. दोनों परिवाद में दिनांक 03.11.2015 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट में याची व उसके पति महेन्द्र कुमार के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया और याची की तलबी दोनों प्रकरणों में शेष है।

04. याची की ओर से इस न्यायालय में सीधे ही धारा 482 सीआर.पी.सी. के तहत याचिका प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि याची संयुक्त खातेदार होने के आधार पर धारा 138 एन.आई.एक्ट का इस्तगासा पेश किया गया है, जबकि धारा 138 एन. आई.एक्ट का अपराध याची के विरूद्ध घटित नहीं होता। याची को कोई अलग से नोटिस भी नहीं दिया गया है। धारा 138 एन.आई.एक्ट के मुताबिक चैक देने वाले व्यक्ति के विरूद्ध ही अपराध घटित होता है, संयुक्त खातेदार की जिम्मेदारी नहीं होती है तथा चैक जारी करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध ही कार्यवाही की जा सकती है। याची द्वारा चैक हस्ताक्षर कर चैक जारी नहीं किया गया है। ऐसी अवस्था में याची के विरूद्ध लंबित फौजदारी कार्यवाहियां निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

05. बहस सुनी गई।

06. विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा याचिका में वर्णित तथ्यों को तर्कों को रूप में प्रस्तुत किया और दौराने बहस दोनों प्रकरणों से संबंधित चैक की प्रमाणित प्रतियां पेश की और स्पष्ट किया कि दोनों चैक पर याची के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी अवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Aparna A Shah Vs. M/s Sheth Developers P. Ltd. And another, Criminal appeal no. 813 of 2013 date of

(Downloaded on 19/12/2024 at 12:23:51 PM)

judgment 01.07.2013 (2013 (8) SCC 71) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए दोनों फौजदारी प्रकरणों की कार्यवाही निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

07. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा इसका सख्त विरोध किया गया।

08. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया। दोनों प्रकरणों की पत्रावलियों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। दोनों प्रकरणों में केवल चैक संख्या व दिनांक अलग–अलग है, शेष तथ्य समान है। इस मामले में दौराने बहस प्रस्तुत दोनों चैकों को शामिल पत्रावली किया गया। दोनों चैक के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि दोनों चैक संयुक्त खाता के चैक हैं, जिनमें याची व महेन्द्र कुमार का नाम प्रिटेंड है और महेन्द्र कुमार के नाम के ऊपर हस्ताक्षर है। याची तरूणा मुंदड़ा के नाम के ऊपर कोई हस्ताक्षर नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद में अभियुक्तगण को रूपये उधार दिया जाना बताया है, परंतु अपने परिवाद में यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया कि चैक पर केवल महेन्द्र कुमार के ही हस्ताक्षर है। इस तथ्य को परिवाद में छुपाया गया है।

09. जब दो व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से रूपये परिवादी को देय हो तथा चैक एक व्यक्ति द्वारा दिया जावे तथा जब संयुक्त खातेदारी में से एक व्यक्ति द्वारा चैक हस्ताक्षर कर दिया जावे, उस अवस्थ में विधिक स्थिति पर विचार किया जा रहा है।

10. धारा 138 एन.आई.एक्ट के अनुसार ''जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंकर के पास रखे गए खाते पर किसी ऋण या अन्य देनदारी के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए निकाला गया चैक वापिस कर दिया जाता है। बैंक द्वारा अवैतनिक, या तो उस खाते में जमा धनराशि चैक का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है या उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है, ऐसे व्यक्ति को अपराध किया गया माना जाएगा और इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से दण्डित किया जाएगा जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो चैक की राशि से दोगुना तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों।''

11. इससे यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति किसी बैंक का चैक देगा और चैक का भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया जाएगा, उस अवस्था में चैक जारी करने वाला व्यक्ति धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध का दोषी होगा।

12. धारा 138 एन.आई.एक्ट के संबंध में विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा पूर्व में वर्णित Aparna A Shah (Supra) {(2013 (8) SCC 71} के पैरा संख्या 27 व 28 में निम्नानुसार सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हैः–

(Downloaded on 19/12/2024 at 12:23:51 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

27. In the light of the above discussion, we hold that under Section 138 of the Act, it is only the drawer of the cheque who can be prosecuted. In the case on hand, admittedly, the appellant is not a drawer of the cheque and she has not signed the same. A copy of the cheque was brought to our notice, though it contains the name of the appellant and her husband, the fact remains that her husband alone had put his signature. In addition to the same, a bare reading of the complaint as also the affidavit of examination-in-chief of the complainant and a bare look at the cheque would show that the appellant has not signed the cheque.

28. We also hold that under Section 138 of the NI Act, in case of issuance of cheque from joint accounts, a joint account-holder cannot be prosecuted unless the cheque has been signed by each and every person who is a joint account-holder. The said principle is an exception to Section 141 of the NI Act which would have no application in the case on hand. The proceedings filed under Section 138 cannot be used as arm-twisting tactics to recover the amount allegedly due from the appellant. It cannot be said that the complainant has no remedy against the appellant but certainly not under Section 138. The culpability attached to the dishonour of a cheque can, in no case "except in case of Section 141 of the NI Act" be extended to those on whose behalf the cheque is issued. This Court reiterates that it is only the drawer of the cheque who can be made an accused in any proceeding under Section 138 of the Act. Even the High Court has specifically recorded the stand of the appellant that she was not the signatory of the cheque but rejected the contention that the amount was not due and payable by her solely on the ground that the trial is in progress. It is to be noted that only after issuance of process, a person can approach the High Court seeking quashing of the same on various grounds available to him. Accordingly, the High Court was clearly wrong in holding that the prayer of the appellant cannot even be considered. Further, the High Court itself has directed the Magistrate to carry out the process of admission/denial of documents. In such circumstances, it cannot be concluded that the trial is in advanced stage".

13. उक्त न्यायिक दृष्टांत के अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय के Alka Khandu Avhad Vs. Amar Syamprasad Mishra 2021 (4) SCC 675 के मामले में भी इस संबंध में विचार कर पैरा संख्या 10 में निम्नानुसार सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:—

(Downloaded on 19/12/2024 at 12:23:51 PM)

> 10. Therefore, a person who is the signatory to the cheque and the cheque is drawn by that person on an account maintained by him and the cheque has been issued for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability and the said cheque has been returned by the bank unpaid, such person can be said to have committed an offence. Section 138 of the NI Act does not speak about the joint liability. Even in case of a joint liability, in case of individual persons, a person other than a person who has drawn the cheque on an account maintained by him, cannot be prosecuted for the offence under Section 138 of the NI Act. A person might have been jointly liable to pay the debt, but if such a person who might have been liable to pay the debt jointly, cannot be prosecuted unless the bank account is jointly maintained and that he was a signatory to the cheque."

14. पूर्व में वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय के दोनों न्यायिक दृष्टांतों पर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत Shalu Arora Vs. Tanu Bathla CRM M-21768/2022 Date of Decision:30.11.2023 में संयुक्त खातेदारियों के मामले में एक खातेदार द्वारा दिए गए चैक के मामले में विचार किया गया और माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व में वर्णित दोनों न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर पैरा संख्या 11 व 12 में निम्नानुसार सिद्धांत प्रतिपादित किया गयाः–

> 11. In view of the above discussion, it would be safe to observe that the petitioner is not liable for the cheque drawn by her husband from the joint account relating to both of them. However, the proceedings may continue against Raman Kumar Arora, her husband, as he had signed the cheque in question.
>
> 12. Resultantly, the present petition is accepted and the(Annexure P-1) and the summoning order 01.02.2020 (AnnexureP-2) passed by the Judicial Magistrate 1st Class, Mohali are ordered to be quashed qua the petitioner only.

15. पूर्व में वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य हस्तगत मामलों से मिलते–जुलते हैं। हस्तगत मामले में भी परिवाद में यह आधार लिया गया कि अभियुक्तगण याची व उसके पति को संयुक्त रूप से रूपये उधार दिए गए थे और इस मामले में याची व उसके पति के संयुक्त खाते के दो अलग–अलग चैक याची के पति द्वारा दिये गये। जिस पर याची के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी अवस्था में जहां तक धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध का प्रश्न है, याची के पति तथाकथित चैक हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति महेन्द्र कुमार के विरूद्ध ही कार्यवाही की जा सकती है। श्रीमती तरूणा के विरूद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट का अपराध प्रथमदृष्टया ही बनाना नहीं पाया

(Downloaded on 19/12/2024 at 12:23:51 PM)

जाता है। ऐसी सूरत में याची के विरूद्ध विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2015 को फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या 295/15 व 296/15 गोपाल सिंह बनाम महेन्द्र कुमार की कार्यवाही याची श्रीमती तरूणा के विरूद्ध चलने योग्य नहीं है।

16. इस मामले में याची द्वारा पूरी प्रोसेडिंग को निरस्त करने के संबंध में सीधे ही इस न्यायालय में कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में लंबित दोनों प्रकरणों की कार्यवाहियां विधिविरूद्ध होने से इस न्यायालय में सीधे ही चुनौती की गई है, वह विधिसम्मत है और यह न्यायालय ऐसे मामलों को धारा 482 सीआर.पी.सी. के तहत निरस्त करने की अधिकारिता रखता है।

17. ऐसी अवस्था में इस मामले में याची द्वारा चैक पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, उस आधार पर ही याची के विरूद्ध लंबित फौजदारी कार्यवाहीयां निरस्त किए जाने योग्य है और याची के पति महेन्द्र कुमार के विरूद्ध कार्यवाही लंबित रहेगी।

18. अतः याची की दोनों याचिकाएं अन्तर्गत धारा 482 सीआर.पी.सी. स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 10, जोधपुर महानगर के समक्ष लंबित फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या 295/15 व 296/15 गोपाल सिंह बनाम महेन्द्र कुमार की कार्यवाहियां याची श्रीमती तरूणा की हद तक निरस्त की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अभियुक्त महेन्द्र कुमार के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

19. आदेश की एक प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 10, जोधपुर महानगर को भेजी जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

45-mayank/-

(Downloaded on 19/12/2024 at 12:23:51 PM)